



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032020-218800
CG-DL-E-19032020-218800

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2020/फाल्गुन 28, 1941

No.123]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 2020/PHALGUNA 28, 1941

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2020

फा. सं.104/39/लेखा.— भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में सं. 344, तारीख 27 सितम्बर, 2019 द्वारा प्रकाशित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की तारीख 23 सितम्बर, 2019 की अधिसूचना फा. सं. 104/39/लेखा में, जिसमें 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संस्थान की उनतालीसवीं वार्षिक रिपोर्ट और समेकित लेखाओं के लेखापरीक्षित लेखा-विवरण तथा इन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट अंतर्विष्ट है, टंकण संबंधी कतिपय त्रुटियां पाई गईं। इस शुद्धिपत्र द्वारा इन त्रुटियों में, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार सुधार किया जाता है:

1. पृष्ठ सं. 50 – “स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट” शीर्ष के पश्चात्, प्रथम वाक्य में, “सदस्यगण” शब्द के स्थान पर “परिषद्” शब्द पढ़ा जाए।
2. पृष्ठ सं. 51 – “वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट” शीर्ष के अधीन पैरा 2 में, “हमारी राय में और हमारी जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार 31 मार्च, 2019 को कंपनी के मामलों, तथा लाभ एवं इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इकट्ठी एवं इसके नकदी प्रवाह में परिवर्तन पर उपरोक्त वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अपेक्षित जानकारी देते हैं और कम्पनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित, (“इंड एएस”) और भारत में समान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखाकरण सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखाकरण मानकों के अनुपालन में सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रकट करते हैं।” शब्दों के स्थान पर, “हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरणों में, 31 मार्च, 2019 को संस्थान के कामकाज तथा उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए व्यय के मुकाबले आय के आधिक्य और उसके नकद प्रवाह के बारे में कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (“अधिनियम”) द्वारा अपेक्षित जानकारी यथापेक्षित रीति में दी गई है और वे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी किए गए यथासंशोधित लेखाकरण मानकों (“ए.एस.”) और

भारत में साधारणतया स्वीकृत अन्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रकट करते हैं।” शब्द पढ़े जाएं।

3. पृष्ठ सं. 51 - “राय का आधार” शीर्ष के अधीन पंक्ति सं. 1 और 2 में “हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) (एसए) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के आधार पर अपनी लेखा परीक्षा संचालित की है।” शब्दों के स्थान पर “हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षण मानकों (एस.ए.) के अनुसार की है।” शब्द पढ़े जाएं।
4. पृष्ठ सं. 51 - “राय का आधार” शीर्ष के अधीन पंक्ति सं. 4 में, “निगम” शब्द के स्थान पर “संस्थान” शब्द पढ़ा जाए।
5. पृष्ठ सं. 51 - “राय का आधार” शीर्ष के अधीन पंक्ति सं. 4 में, “कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके नियमों के प्रावधानों” शब्दों के स्थान पर “कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के प्रावधानों” शब्द पढ़े जाएं।
6. पृष्ठ सं. 51 - “वित्तीय विवरणों को छोड़कर अन्य जानकारी और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट” शीर्ष के अधीन पैरा 1 में, “अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट एवं शेयरधारकों की सूचना सहित बोर्ड रिपोर्ट पर जानकारी शामिल है लेकिन इसे वित्तीय विवरण और हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जाता है।” शब्दों को हटाया जाता है।
7. पृष्ठ सं. 51 - “वित्तीय विवरणों को छोड़कर अन्य जानकारी और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट” शीर्ष के अधीन पैरा 3 की पंक्ति सं. 1 में, “वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में हमारे ऑडिट में” शब्दों के स्थान पर “वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में” शब्द पढ़े जाएं।
8. पृष्ठ सं. 51 - “वित्तीय विवरणों के लिए अभिशासन के संबंध में प्रबंधन की जिम्मेदारी” शीर्ष के अधीन पैरा 1 की पंक्ति सं. 1 में, “कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 134(5)” शब्दों के स्थान पर “कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (“अधिनियम”)” शब्द पढ़े जाएं।
9. पृष्ठ सं. 51 - “वित्तीय विवरणों के लिए अभिशासन के संबंध में प्रबंधन की जिम्मेदारी” शीर्ष के अधीन पैरा 1 की पंक्ति सं. 2 में, “इंड एस” शब्दों के स्थान पर “लेखाकरण मानकों” शब्द पढ़े जाएं।
10. पृष्ठ सं. 51 - “वित्तीय विवरणों के लिए अभिशासन के संबंध में प्रबंधन की जिम्मेदारी” शीर्ष के अधीन पैरा 1 की पंक्ति सं. 2 में, “कंपनी” शब्द के स्थान पर “संस्थान” शब्द पढ़ा जाए।
11. पृष्ठ सं. 51 - “वित्तीय विवरणों के लिए अभिशासन के संबंध में प्रबंधन की जिम्मेदारी” शीर्ष के अधीन पैरा 1 की पंक्ति सं. 3 में, “कंपनी” शब्द के स्थान पर “संस्थान” शब्द पढ़ा जाए।
12. पृष्ठ सं. 51 - “वित्तीय विवरणों के लिए अभिशासन के संबंध में प्रबंधन की जिम्मेदारी” शीर्ष के अधीन पैरा 2 की पंक्ति सं. 1 और 2 में, “सिवाए उसके कि जब तक वह कंपनी के प्रचालनों को बंद करने या प्रचालन समाप्त करने का इच्छुक न हो” शब्दों को और पंक्ति सं. 3 में, “और जब तक कि उसके पास ऐसा करने का कोई वास्तविक विकल्प नहीं होगा” शब्दों को हटाया जाता है।
13. पृष्ठ सं. 51 - “वित्तीय विवरणों के लिए अभिशासन के संबंध में प्रबंधन की जिम्मेदारी” शीर्ष के अधीन पैरा 2 की पंक्ति सं. 2 में, “कंपनी” शब्द के स्थान पर “संस्थान” शब्द पढ़ा जाए।
14. पृष्ठ सं. 51 - “वित्तीय विवरणों के लिए अभिशासन के संबंध में प्रबंधन की जिम्मेदारी” शीर्ष के अधीन पैरा 3 में, “निदेशक मंडल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार हैं” शब्दों को हटाया जाता है।
15. पृष्ठ सं. 51 - “वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व” शीर्ष के अधीन पैरा 2 के उपपैरा 2 में, “लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन करने के लिए ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के साक्ष्य प्राप्त करना जो परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त हों। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम इस बात को व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय प्रणाली है या नहीं इस तरह के नियंत्रण में परिचालन प्रभावशीलता का पता लगाया जाता है।” शब्दों के स्थान पर “लेखापरीक्षा प्रक्रिया का डिजाइन करने के लिए, किन्तु संस्थान के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता के संबंध में राय व्यक्त करने के प्रयोजन के लिए नहीं, लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के साक्ष्य प्राप्त करना, जो परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त हों।” शब्द पढ़े जाएं।

16. पृष्ठ सं. 52 - “वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व” शीर्ष के अधीन पैरा 2 के उपपैरा 4 की पंक्ति स. 2 में, “सोसाइटी” शब्द के स्थान पर “संस्थान” शब्द पढ़ा जाए।
17. पृष्ठ सं. 52 - “वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व” शीर्ष के अधीन पैरा 2 के उपपैरा 4 की पंक्ति स. 7 में, “सोसाइटी” शब्द के स्थान पर “संस्थान” शब्द पढ़ा जाए।
18. पृष्ठ सं. 52 - “अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” शीर्ष के अधीन मद सं. 1 में, “संस्थान में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के संदर्भ में केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेशक, 2016 (“आदेश”) द्वारा आवश्यकता अनुसार संस्थान पर लागू नहीं है।” शब्दों को हटाया जाता है।
19. पृष्ठ सं. 52 - “अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” शीर्ष के अधीन मद सं. 2 के शीर्ष में, “अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित अनुसार” शब्दों को हटाया जाता है।
20. पृष्ठ सं. 52 - “अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” शीर्ष के अधीन मद सं. 2(ग) में, “लाभ एवं हानि विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण” शब्दों के स्थान पर “आय और व्यय विवरण” शब्द पढ़े जाएं।
21. पृष्ठ सं. 52 - “अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” शीर्ष के अधीन मद सं. 2(घ) में, “कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट इंड एएस” शब्दों के स्थान पर “भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी किए गए यथासंशोधित लेखाकरण मानकों (“ए.एस.”)” शब्द पढ़े जाएं।
22. पृष्ठ सं. 52 - “अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” शीर्ष के अधीन मद सं. 2(ड) में, “संस्थान को कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावकारिता के संबंध में लेखापरीक्षा राय प्राप्त करने की छूट दी जाती है, “संलग्नक-क” में हमारी अलग रिपोर्ट का संदर्भ लें।” शब्दों को हटाया जाता है।
23. पृष्ठ सं. 52 - “अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” शीर्ष के अधीन मद सं. 2(च) में, “कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार है।
 - i. संस्थान के प्रबंधन पर कोई मुकदमा लंबित नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालेगा।
 - ii. संस्थान के पास डेरिवेटिव अनुबंध सहित किसी लम्बी अवधि के अनुरूप नहीं है तथा इन पर किसी सामग्री परक पूर्वाभाषी हानि नहीं हुई है।” शब्दों को हटाया जाता है।

परिषद् के आदेश द्वारा,
अशोक कुमार दीक्षित, कार्यकारी सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./509/19]

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th March, 2020

F.No.104/39A/Accts.- In the notification F.No.104/39/Accts. dated 23rd September, 2019 published in Part III- Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary no. 344 dated 27th September, 2019 of the Institute of Company Secretaries of India containing thirty-ninth Annual Report and audited statements of consolidated accounts along with the Auditor’s report thereon of the Institute for the year ended 31st March, 2019, certain typographical errors were noticed. These errors as per details given below, are hereby rectified by way of this Corrigendum:

1. Page no. 123 - In the first sentence after heading “INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT”, word “MEMBERS” be read as “COUNCIL”.

2. Page no. 123 - In the para 2 under heading “Report on the Audit of the Financial Statements”, words “In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act , 2013 (“ the Act”) in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, (“Ind AS”) and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2019, and the profit, and changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.” be read as “In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Company Secretaries Act, 1980 (“ the Act”) in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), as amended, (“AS”) and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Institute as at March 31, 2019, and the excess of income over expenditure and its cash flows for the year ended on that date.”.
3. Page no. 123 - In the line no. 1 and 2 under heading “Basis for Opinion”, words “We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013 (SAs).” be read as “We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).”.
4. Page no. 123 - In the line no. 3 under heading “Basis for Opinion”, word “Company” be read as “Institute”.
5. Page no. 123 - In the line no. 5 and 6 under heading “Basis for Opinion”, words “the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder” be read as “Company Secretaries Act, 1980 and the Regulations made thereunder”.
6. Page no. 124 - In the para 1 under heading “Information Other than the Financial Statements and Auditor’s Thereon:”, words “The other information comprises the information in the Board report including Annexure to Board’s Report and shareholder’s Information, but does not include the financial statements and our auditor’s report thereon” stands deleted.
7. Page no. 124 - In the line no. 1 of para 3 under heading “Information Other than the Financial Statements and Auditor’s Thereon:”, word “audit” after the words ”of the” stands deleted.
8. Page no. 124 - In the line 1 and 2 of para 1 under heading “Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements:”, words “section 134 (5) of the Companies Act, 2013 (“The Act”)” be read as “Company Secretaries Act, 1980(“The Act”)”.
9. Page no. 124 - In the line 3 of para 1 under heading “Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements:”, word “Company” be read as “Institute”.
10. Page no. 124 - In the line 3 of para 1 under heading “Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements:”, word “Ind AS” be read as “Accounting Standards”.
11. Page no. 124 - In the line 5 of para 1 under heading “Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements:”, word “Company” be read as “Institute”.
12. Page no. 124 - In the line 1 of para 2 under heading “Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements:”, word “Company’s” be read as “Institute’s”.
13. Page no. 124 - In the line 3 and 4 of para 2 under heading “Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements:”, words “unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so” Stands deleted.
14. Page no. 124 - In the para 3 under heading “Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements:”, words “That Board of Directors are also responsible for overseeing the Company’s Financial Reporting process.” Stands deleted.
15. Page no. 124 - In the sub para 2 of para 2 under heading “Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements”, words “Under Section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013 we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system and the operating effectiveness of such controls.” be read as “, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Institute’s internal control.”.

16. Page no. 125 - In the line 3 of sub para 4 of para 2 under heading “Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements”, word “Company” be read as “Institute”.
17. Page no. 125 - In the line 7 of sub para 4 of para 2 under heading “Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements”, word “Company” be read as “Institute”.
18. Page no. 125 - In the point no. 1 under heading “Report on Other Legal and Regulatory Requirements”, words “As required by the Companies (Auditor’s Report) Order, 2016 (“the Order”), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, is not applicable to the Institute.” Stands deleted.
19. Page no. 125 - In the heading of point no. 2 under heading “Report on Other Legal and Regulatory Requirements”, words “As required by Section 143 (3) of the Act,” Stands deleted.
20. Page no. 125 - In the point no. 2 (c) under heading “Report on Other Legal and Regulatory Requirements”, words “ Profit and Loss, statement of change in equity” be read as “Income and Expenditure”.
21. Page no. 125 - In the point no. 2 (d) under heading “Report on Other Legal and Regulatory Requirements”, words “Ind AS specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.” be read as “Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), as amended, (“AS”).”.
22. Page no. 125 - In the point no. 2 (e) under heading “Report on Other Legal and Regulatory Requirements”, words “The Institute is exempted from getting audit opinion with respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the Operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in “Annexure A”.” Stands deleted.
23. Page no. 125 and 126 - In the point no. 2 (f) under heading “Report on Other Legal and Regulatory Requirements”, words “With respect to the other matters to be included in the Auditor’s Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
(i) The Institute Management does not have any pending litigations which would impact its financial position.
(ii) The Institute Management did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.” Stands deleted.

By Order of the Council,
ASHOK KUMAR DIXIT, Officiating Secretary
[ADVT.-III/4/Exty./509/19]